



7-310XAMIV

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax: -0135-253154/2531072

Website: <http://www.pwd.uk.gov.in>



E-Mail: [eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)

पत्रांक:- 1117/76याता0 (क)-उ0/2018

दिनांक: 31/10/2018

सेवा में,

परिवहन आयुक्त  
परिवहन विभाग,  
सहस्रधारा मार्ग, कुल्हान,  
देहरादून।

विषय:- रिट पिटीशन सं0-295(एस0)/12एस0 राजशेखरन बनाम भारत संघ के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक- 4710/प्रवर्तन/स0सु0/1-8 (3)/2018 दिनांक 26.10.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने उक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र के साथ उक्त विषयक रिट याचिका के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा मानिटिरिंग कमेटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में आख्या निम्नलिखित है।

उत्तराखण्ड प्रदेश में वर्तमान में 42106 कि.मी. मार्ग निर्मित है। जिसमें से 2954 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरक्षण हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा धनावटन किया जाता है। शेष 39152 कि.मी. में से 30952 कि.मी. का रख रखाव राज्य सरकार के बजट से किया जाता है। जिसमें से 21627 कि.मी. मार्ग लेपन स्तर तक है। लेपित मार्गों को 4 से 8 वर्ष के अन्तराल पर पुनः लेपित करना आवश्यक होता है। अधिक समय तक पुनः लेपित न करने पर पैच एवं पोट होल्स बनने का मुख्य कारण है। मरम्मत मद में संसाधनों की कमी के कारण नियमित अन्तराल पर पुनः लेपन का कार्य सम्भव नहीं हो रहा है। पुनः लेपन/नवीनीकरण के मानक निम्न है।

(i) राज्य मार्ग 4 वर्ष (ii) मुख्य जिला मार्ग 5 वर्ष (iii) अन्य जिला मार्ग 6 वर्ष (iv) ग्रामीण मार्ग 8 वर्ष

वर्तमान में 1 कि.मी. मार्ग के नवीनीकरण पर औसत ₹ 13.00 लाख की लागत आती है। प्रतिवर्ष लगभग 3300 कि.मी. नवीनीकरण के लिये ₹ 430.00 करोड़ धनराशि की आवश्यकता है। वर्ष 2018-19 हेतु पैच मरम्मत एवं पोट होल्स की मरम्मत के लिये ₹ 56.00 करोड़ की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गई है। पैच रिपेयर का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष प्रगति में है।

2- **Total death due to Potholes :-** पोट होल्स के कारण वर्ष 2013 से 2017 तक कुल death की संख्या पूरे भारत के लिये दी गई है। उत्तराखण्ड में पोट होल्स के कारण वर्ष 2013 से 2017 के मध्य हुयी death की सूचना पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। लो0नि0वि0 के अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2013 से 2017 के मध्य पोट होल्स के कारण हुई दुर्घटना में death की सूचना शून्य है।

3- **Order of the Bombay High court dated 12th April 2018 on PIL No. 71 of 2013:-**

- (i) The citizens have the fundamental right under Article 21 of the Indian constitution to use properly maintained roads. - मान्य है।
- (ii) It is the duty of the road owning agency to maintain the roads in good condition. - सीमित संसाधन एवं बजट की उपलब्धता के अनुसार मार्गों का रख रखाव निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार किया जाता है।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर



- (iii) **The citizens have the rights to get compensation from the road owning agency in case of fatality or injury caused due to poor maintenance of roads.** – दुर्घटना का कारण जाने बिना सड़कों के खराब रखरखाव के कारण Road Owning Agency को compensation देने हेतु निर्देशित करना उचित नहीं होगा।
- (iv) **There should be a Grievance Redress Mechanism to enable the citizens to file a complaint:-** उत्तराखण्ड सरकार द्वारा "सामाधान" पोर्टल बनाया गया है। जिस पर किसी भी व्यक्ति द्वारा मार्गों के रख रखाव एवं पोट होल्स के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा Mobile App भी लॉन्च किया गया है। जिस पर शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
- (v) **The Road Owning Agency should maintain a website for Grievance Redress Mechanism to enable the citizens to file and track the complaint:-** बिन्दु सं० IV के अनुसार।

4- **How do potholes develop and accidents occur** - उत्तराखण्ड पर्वतीय राज्य होने कारण मानसून सीजन में बरसात की तीव्रता बहुत अधिक होती है एवं जाड़ों के मौसम में भी वर्षा तथा स्नोफाल होने के कारण तापमान में कमी आने से बिटुमिनिस सतह में अत्यधिक क्षति होने के कारण मार्गों पर पैच एवं पोट होल्स बन जाते हैं। धन की उपलब्धता के अनुसार मानसून सीजन के तुरन्त बाद पैच मरम्मत का कार्य कराया जाता है एवं अन्य सीजन में भी पूरे वर्ष पैच मरम्मत का कार्य कराया जाता है।

पोट होल्स बनने के मुख्यतयः निम्न कारण हैं।

- Over loading के कारण crust का कमजोर होना।
- मार्ग पर अतिक्रमण एवं बाजार में ठेली इत्यादि से सड़क एवं नाली में कुड़ा डालने के कारण।
- Periodic renewal धनाभाव के कारण समय से न होना।
- आबादी भाग में नगर निगम/नगर पालिका द्वारा नाली की सफाई न किया जाना एवं पानी निकासी हेतु उचित व्यवस्था न होना।

Potholes की गहराई यदि 15cm से अधिक होगी, तो वाहन के over speed होने के कारण वाहन का बैलेन्स बिगड़ने से accident हो सकता है।

5- **What is the procedure to decide that the accident has occurred due to potholes:-** सामान्यतः दुर्घटना होने पर पुलिस विभाग द्वारा FIR दर्ज की जाती है एवं दुर्घटना के कारण की report लगायी जाती है। Pot holes के कारण कितनी दुर्घटनायें राज्य में हुयी हैं इसकी आख्या पुलिस विभाग द्वारा दी जा सकती है।

6- **Is there any provision or clause in the Contract to fix responsibility on the Contractor, Concessionaires and Consultants:-** निर्माण के समय एवं Defect liability period के अन्तर्गत जो कि सामान्यतः 2 वर्ष निर्धारित है, सम्बन्धित ठेकेदार की पैच/पोट होल्स मरम्मत की जिम्मेदार होती है। ठेकेदार के विरुद्ध अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जाती हैं एवं ठेकेदार को काली सूची में भी डालने का भी प्राविधान है।

7- **Amount allocated for maintenance of roads and its adequacy. How much of the funds, allocated were spent doing the last 3 years :-** राष्ट्रीय राजमार्गों के रख रखाव हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा धनावंटन किया जाता है। विगत 3 वर्षों में लो०नि०वि० के अधीन राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनुरक्षण मद में निम्नानुसार धनावंटन किया गया है।

वर्ष	धनराशि
2015-16	50.26 करोड़
2016-17	33.53 करोड़
2017-18	25.00 करोड़



(3)

उत्तराखण्ड लो0नि0वि0, के अधीन मार्गों पर धनावंटन निम्नानुसार है।

वर्ष	धनराशि
2015-16	- 160.00 करोड़
2016-17	- 160.00 करोड़
2017-18	- 175.00 करोड़

उपरोक्त धनराशि निर्धारित मानक के अनुसार अनुरक्षण मद की आवश्यकता से बहुत कम है।


- 8- **What are the arrangements made for maintenance of roads? Is it done in house by PWD or contracted out :-** सामान्यतः मार्गों का रख रखाव contract के द्वारा कराया जाता है। जिसमें नवीनीकरण, पैचेज एवं पोट होल्स की मरम्मत का कार्य भी सम्मिलित है।
- 9- **Are there any provisions for fixing responsibilities on the officers/staff of the road owning agency responsible for maintenance or roads :-** मार्गों के रख रखाव के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं लो0नि0वि0 द्वारा कई शासनादेश एवं कार्यालय ज्ञाप मार्गों के रख रखाव के सम्बन्ध में जारी किये गये हैं। जिसके अनुसार सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता की जिम्मेदारी रख रखाव हेतु निर्धारित की जाती है।
- 10- **Is there a Protocol for Inspecting all the roads to see whether any pothole has occurred or likely to occur and to take corrective action? :-** लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड द्वारा Road Maintenance Manual जारी किया गया है। जिसके अनुसार उपलब्ध Funds के अन्दर मार्गों का रख रखाव किया जाता है।
- 11- **Compensation to the victims :-**
- (i) **Is there any provision for paying compensation by the road owning agency :-** नहीं है।
- (ii) **Should compensation be determined in each case on the lines of the compensation decided by MACT or according to the MoRTH Notification dated 22<sup>nd</sup> May, 2018 :-** MoRTH का नोटिफिकेशन दिनांक 22 मई, 2018 के अनुसार compensation दिये जाने हेतु शासन स्तर पर निर्णय लिया जा सकता है। MoRTH के नोटिफिकेशन दिनांक 22 मई, 2018 की प्रति संलग्न है।
- (iii) **Can a committee be constituted by each State to determine the compensation on the basis of the principles/methodology used by MACT :-** संज्ञान में नहीं है।


**सुझाव:-**

- 1- निर्धारित मानक के अनुसार समयान्तराल पर नवीनीकरण किया जाना।
- 2- नवीनीकरण एवं सामान्य अनुरक्षण मद में निर्धारित मानक के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराया जाना।
- 3- पब्लिक के द्वारा सड़क/नाली पर कूड़ा डालने की प्रवृत्ति पर रोक/दण्ड का प्राविधान/जागरूकता पैदा करना।

उपरोक्तानुसार बिन्दुवार आख्या आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है।

संलग्न:- MoRTH का Notification  
दिनांक 22/05/2018

  
 (आर0सी0पुरोहित)  
 प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष



क्रमशः पृष्ठ 4 पर.....

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 4924/111(2)/18-43(रि0या0)/2018, दिनांक 28.09.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
- 3- मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0, देहरादून/हल्द्वानी।
- 4- श्री आर0सी0अग्रवाल, नोडल अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
- 5- आई0टी0 सैल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड देहरादून को [pwd.uk.gov.in](http://pwd.uk.gov.in) की Road Safety Gallery में upload करने हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND  
राज्य शासन, उत्तराखण्ड  
मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, देहरादून

प्रति,  
श्री आर0सी0अग्रवाल, नोडल अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।  
श्री मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0, देहरादून/हल्द्वानी।  
श्री पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।  
श्री अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 4924/111(2)/18-43(रि0या0)/2018, दिनांक 28.09.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

